

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

नाम बनाम प्रहलाद (वर्ग 2)

किरम मुकदमा प्र.पत्र 111-126 नं० 60 सन् 2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही नय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत हुकम की तानील मे जारी हुए
--------	----------------------------------	-----------------------------------------------------

3-22 वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 12/3/22 को पेश हो ।

Cy
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलेक्टर माण्डल

12/3/22

उभय पक्ष द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10/8/22 को पेश हो ।

रीडर
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10/8/22

उभय पक्ष द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10/8/22 को पेश हो ।

रीडर
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

6-22 पत्रावली प्रशासन गांवों के लगे अभियान 2021 के फॉलो केम्ब ग्राम पंचायत पीघास में पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन काड शामिल होकर प्राप्त हुए एवं तहसीलदार माण्डल से माँका डिवटि प्राप्त हुई जिसे शास्त्रिन पत्रावली किया गया । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली फैलल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

डॉ. पूजा सक्सेना
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

वासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 60/22 प्रा.पत्र

श्री गानु 5/10 श्री सगगा 6/12 जियासी - थावोला तहसील - माण्डल (कर्म)

--प्रार्थी

बनाम

श्री प्रह्लाद 5/10 कार्शाराम शर्मा जियासी - थावोला तहसील - माण्डल (कर्म)

(सिद्धांतिक प्रा.पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 03-06-22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम थावोला पटवार हल्का खावडी तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1239/868 कुल किता 01 रकबा 1-0749 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04-03-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए कि की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम थावोला र हल्का खावडी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1239/868 कुल किता 01 रकबा 1-0749 बिस्वा

बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 700/- /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँव के सग अभियान 2021
करण पर नियमानुसार

लेमि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार